**न्यायालय सिविल जज, हरिद्वार।**
**मूलवाद संख्या – 230/2022**
**कम्प्यूटर नम्बर – 227/2022**
**महादेवी नक्षत्रम राजपाक्यम बनाम स्वामी कैलाशानन्द आदि**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रस्तुत करने का दिनांक | – | 08.08.2022 |
| 2. | वाद का प्रकार | – | डिक्री बैनामा निरस्तीकरण |
| 3. | वाद का मूल्यांकन | – | 1084.50/– रू0 |
| 4. | वादी अधिवक्ता | – | श्री ललित कुमार उपाध्याय |
| 5. | प्रतिवादी अधिवक्ता | – | |

**दिनांक– 08.08.2022**

आज यह मूलवाद प्रबंधक आख्या सहित प्राप्त हुआ। वादी अधिवक्ता श्री ललित कुमार उपाध्याय को सुना गया। आदेश हुआ कि दर्ज रजिस्टर हो तथा प्रतिवादी के विरूद्ध समन वास्ते प्रतिवाद पत्र दिनांक 08.09.2022 तथा वास्ते तनकी हेतु दिनांक 15.09.2022 के लिए जारी हो। वादी पैरवी करे।

(जयश्री राणा)
सिविल जज, हरिद्वार।

**पुनश्च–** वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 7सी2 मय शपथपत्र कागज सं0 8सी2 अन्तर्गत आ0 39 नियम 01 व 02 व धारा 151 जाफ्ता दीवानी पेश हुआ। प्रार्थना पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित कुमार उपाध्याय को रूप से सुना। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र पर आदेश करने से पूर्व विपक्षी को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार विपक्षी के विरूद्ध नोटिस वास्ते आपत्ति/निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 18.08.2022 के लिए द्वारा जारी हो। वादी पैरवी करे।

(जयश्री राणा)
सिविल जज, हरिद्वार।